

जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सुविधा का नाम और स्थान

आरटीआई आवेदनों को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन प्राथमिकता दी जा सकती है।

आरटीआई आवेदन को डाक या व्यक्तिगत रूप से भी प्राथमिकता दी जा सकती है। आरटीआई प्रकोष्ठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को आरटीआई आवेदन और आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित वैधानिक शुल्क प्राप्त होते हैं।

उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण

आरटीआई अमिमनयि के तहत सभी स्वीकार्य

काम के घंटे

कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 09.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक

संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल)

आरटीआई-कार्यालय

प्रशासनिक खंड

कक्ष संख्या – 144

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

संपर्क - 01285-260131

ईमेल - cpio@cuh.ac.in

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय